भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2363

उत्तर देने की तारीख 23 मार्च, 2022

बुधवार, 2 चैत्र, 1944 (शक)

पीएमकेवीवाई के माध्यम से कौशल प्राप्त और प्रमाणित व्यक्ति

2363 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत उन कौशल-प्राप्त कुल व्यक्तियों का वर्ष-वार प्रतिशत कितनी है, जिन्हें अब तक प्रमाणित किया जा चुका है;

(ख) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कौशल प्राप्त ऐसे व्यक्तियों का वर्ष-वार प्रतिशत कितना है जिन्हें अब तक लाभप्रद रूप से रोजगार प्राप्त हो चुका है;

(ग) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कौशल प्राप्त तथा प्रमाणित किए गए व्यक्तियों को नौकरी मिलने की दर में कमी होने के क्या कारण है;

(घ) क्या प्रशिक्षण कार्यक्रम अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं जिससे कुशल युवाओं को कम नौकरियां प्राप्त हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) कुशल भारत मिशन के तहत, मंत्रालय अपनी महत्वाकांक्षी स्कीम प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से देश भर के युवाओं को कौशल प्रदान कर रहा है। पीएमकेवीवाई के तहत, 2015 से 31.12.2021 तक, देश भर में लगभग 1.34 करोड़ उम्मीदवार (एसटीटी में प्रशिक्षित 0.69 करोड़ और आरपीएल में प्रशिक्षित 0.65 करोड़) लाभान्वित हुए हैं। पीएमकेवीवाई-एसटीटी के तहत, 0.69 करोड़ प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से 0.54 करोड़ उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है जो लगभग 78% है। इसी तरह पीएमकेवीवाई-आरपीएल के तहत 0.65 करोड़ उन्मुख उम्मीदवारों में से 0.57 करोड़ उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है जो लगभग 88% है।

(ख) पीएमकेवीवाई के तहत, एसटीटी प्रमाणित उम्मीदवारों को नियोजन के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जबकि आरपीएल नियोजन से सम्बद्ध नहीं है क्योंकि यह उम्मीदवार के मौजूदा कौशल को मान्यता प्रदान करता है। पीएमकेवीवाई 1.0 के तहत नियोजन की निगरानी करना अनिवार्य नहीं था।

पीएमकेवीवाई के प्रारम्भ यानी 2015, के बाद से, 31.12.2021 तक, 53.88 लाख उम्मीदवारों को एसटीटी के तहत प्रमाणित किया गया है; जिनमें से 23.70 लाख उम्मीदवारों को देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में नियोजन प्रदान किया गया है जो लगभग 44% है। 31.12.2021 तक पीएमकेवीवाई-एसटीटी के तहत प्रमाणित और नियोजित उम्मीदवारों का वित्त वर्ष वार विवरण नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	पीएमकेवीवाई-एसटीटी के तहत प्रमाणित	पीएमकेवीवाई-एसटीटी के तहत नियोजित
2015-16	10,72,975	2,18,019
2016-17	2,69,752	35,556
2017-18	11,86,548	4,53,076
2018-19	10,32,771	7,04,220
2019-20	11,50,611	6,08,389
2020-21	4,84,918	2,16,102
2021-22	1,91,180	1,34,893
योग	**53,88,755**	**23,70,255**

(ग) से (ङ) पीएमकेवीवाई-एसटीटी के तहत, कुल नियोजन का प्रतिशत लगभग 44% है। प्रशिक्षण काल के विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण छोड़ने वाले पाए गए हैं। प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों में घटती संख्या के कारण नीचे दर्शाए गए हैं:

- *नामांकन बनाम प्रशिक्षण*: पोर्टल पर उम्मीदवारों के पंजीकरण के बाद, कुछ उम्मीदवार प्रशिक्षण के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं और कुछ उम्मीदवार प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षण बीच में छोड देते हैं।
- *प्रशिक्षण बनाम आकलन*: यह अंतर मुख्य रूप से प्रशिक्षित उम्मीदवारों के आकलन के लिए उपस्थित नहीं होने के कारण है।
- *आकलन बनाम प्रमाणन*: आकलन किए गए और प्रमाणित उम्मीदवारों की संख्या में अंतर का कारण आकलन परीक्षाओं में उम्मीदवारों की विफलता को माना जाता है।
- *प्रमाणन बनाम नियोजन*: यह देखा गया है कि पीएमकेवीवाई 2.0 के तहत नामांकित कुछ छात्र रोजगार पाने के बजाय उच्च शिक्षा प्राप्त करना पसंद करते हैं। इसके अलावा, छात्र उस स्थान पर स्थानांतरित किए जाने पर संकोच करते हैं जहां नौकरी के अवसर खासतौर पर उनके गृह राज्य से बाहर उपलब्ध हैं।

पीएमकेवीवाई के अल्पावधि प्रशिक्षण के तहत नियोजन को बढ़ाने के लिए, नियोजन को प्रशिक्षण प्रदाताओं को भुगतान के साथ सम्बद्ध किया जाता है। अंतिम किश्त, यानी कुल भुगतान का 30 प्रतिशत उम्मीदवारों की नियुक्ति सुनिश्चित करने पर ही प्रशिक्षण प्रदाताओं को वितरित किया जाता है। साथ ही, संभावित नियोक्ताओं के साथ उम्मीदवारों को सीधे सम्बद्ध करने के लिए क्षेत्र कौशल परिषदों, प्रशिक्षण प्रदाताओं और कार्यान्वयन एजेंसियों के सहयोग से रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है।

इसके अलावा, पीएमकेवीवाई 1.0 (2015-16) और 2.0 (2016-20) के कार्यान्वयन से मिले अनुभव के आधार पर, पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत को आपूर्ति संचालित से मांग संचालित में परिवर्तित कर दिया गया है। क्षेत्रीय/स्थानीय स्तर पर प्रचलित जॉब रोलों मांग को बढ़ावा देने के लिए मांग संचालित और बॉटम-अप दृष्टिकोण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, उम्मीदवारों के सूचित विकल्पों/आकांक्षाओं को प्राथमिकता दी गई है जिसका उद्देश्य स्वरोजगार को समर्थन देना भी है। यह स्कीम उम्मीदवारों को स्थानीय नौकरियों के साथ स्थानीय कौशल का चयन करने के लिए प्रोत्साहित करके आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का भी समर्थन करती है।

मंत्रालय ने आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मैपिंग (असीम) पोर्टल भी प्रारम्भ किया है, जो केंद्र और राज्य स्तर पर सभी स्कीमों में स्किल इंडिया पोर्टल (सिप) के तहत पंजीकृत और प्रमाणित कुशल कार्यबल की केंद्रीय निर्देशिका के रूप में कार्य करता है।

****